तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमल किशोर, 28, खोड का बास, पाली मारवाड़, (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 89 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 303 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

23.6.22

–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 27.01.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / (6)(3) / 37 / 2022 / 1005 दिनांक 23.06.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से संबंधित वांछित सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली / उपखण्ड अधिकारी, पाली से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / (6)(3) / 37 / 2022 / 168 दिनांक 31.01.2022 द्वारा निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। इस संबंध में पत्रांक 133 दिनांक 11.02.2022 द्वारा अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पाली / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली